



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 235] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 22, 1973/भाद्र 31, 1895

No. 235] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 22, 1973/BHADRA 31, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सक।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September 1973

G.S.R. 450(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (1) and the first proviso to sub-rule 2, of Rule 4 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rule, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of West Bengal, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely:—

1. (i) These Regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Sixth Amendment Regulations, 1973.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Gazette of India.
2. In the Schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, for the heading "WEST BENGAL" and the entries occurring thereunder the following shall be substituted, namely:—

"WEST BENGAL"

1. Senior posts under the State Government	119
Chief Secretary to the Government	1
Member, Board of Revenue	1
Additional Chief Secretary and Development Commissioner	1

Additional Member, Board of Revenue	1.
Commissioners of Divisions	3.
Commissioner Secretaries (Agriculture, Education, Finance, Food, Home, Irrigation and Waterways and Power, Refugee Rehabilitation, Town and Country Planning, Transport)	9
Secretaries to Government	8.
Special Secretary (Finance)	1
Joint/Deputy Secretaries	32.
Secretary to the Governor	1
Secretary to the Chief Minister	1
Secretary, State Planning Board	1.
Secretary, Board of Revenue	1.
Special Secretary, Board of Revenue	1
Director of Land Records and Surveys	1
Director of Public Vehicles Department	1
Director of Panchayats	1.
Director of Cottage and Small Scale Industries	1.
Commissioner for Commercial Taxes	1
Director of Evaluation, Development and Planning Department	1.
Director, Asansol Planning Organisation and Chief Executive Officer, Durgapur Development Authority	1
Director of Scheduled Castes and Tribes Welfare	1
Director of Rationing	1.
Director of District Distribution, Procurement and Supply	1.
Labour Commissioner	1
Registrar of Cooperative Societies	1.
Additional Registrar of Cooperative Societies	1
District Magistrates and Collectors	15.
Additional District Magistrates	25.
Land Acquisition Collector, Calcutta	1
Settlement Officers	3.
	119
2. Central Deputation Reserve @ 40% of 1 above	48
3. Posts to be filled by promotion and Selection under rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 @ 25% of 1 and 2 above	41
4. Posts to be filled by Director Recruitment (1 and 2 minus 3 above).	126.
5. Deputation Reserve	40*
6. Leave Reserve @ 5% of 4 above	6.
7. Junior posts @ 20.60% of 4 above	26.
8. Training reserve @ of 10.59% of 4 above	13
Direct Recruitment Posts	211
Promotion posts	41
Total Authorised Strength	252

*Includes 15 posts in excess of 20%.

[No. 10/3/73-AIS (II)]

SHRAVAN KUMAR, Jt. Secy.

‘मंत्रिमण्डल सचिवालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22, सितम्बर, 1973

सा०सा०नि० 450 (अ).—भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्धन) नियम, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (2) के प्रथम परन्तुक और उप-नियम (1) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951

(1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार पश्चिम बंगाल सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) विनियम, 1955 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों को भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) छटवा संशोधन विनियम, 1973 कहा जा सकेगा।
- (2) ये भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।
2. भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) विनियम, 1955 की अनुसूची में "पश्चिम बंगाल" के अन्तर्गत विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा :—

¹'पश्चिम बंगाल'

1. राज्य सरकार के अधीन पद	119
सरकार के मुख्य सचिव	1
सदस्य, राजस्व बोर्ड	1
अपर मुख्य सचिव तथा विकास आयुक्त	1
अपर सदस्य, राजस्व बोर्ड	1
प्रमण्डल आयुक्त	3
आयुक्त-सचिव (कृषि, शिक्षा, वित्त खाद्य, गृह, सिंचाई तथा जलभारं तथा विद्युत, शरणार्थी, पुनर्वास, नगर तथा ग्राम्य आयोजन, परिवहन)	9
सरकार के सचिव	8
विशेष सचिव (वित्त)	1
संयुक्त/उप सचिव	32
राज्यपाल के सचिव	1
मुख्य मंत्री के सचिव	1
सचिव, राज्य योजना बोर्ड	1
सचिव, राजस्व बोर्ड	1
विशेष सचिव, राजस्व बोर्ड	1
निदेशक, अभिलेख तथा सर्वेक्षण	1
निदेशक, सरकारी वाहन विभाग	1
निदेशक, पंचायत	1
निदेशक, लघु तथा कुटीर उद्योग	1
आयुक्त, वाणिज्य कर	1
निदेशक, मूल्यांकन, विकास तथा योजना विभाग	1
निदेशक, आसनसोल योजना संगठन तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दुर्गापुर विकास प्राधिकरण	1
निदेशक, अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति	1
निदेशक, राशनिंग	1
निदेशक जिला वितरण, वसूली तथा पूर्ति	1
श्रम आयुक्त	1
रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां	1

अपर रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां	1
जिला मजिस्ट्रेट तथा कलेक्टर	15
अपर जिला मजिस्ट्रेट	25
भूमि अधिग्रहण कलेक्टर, कलकत्ता	1
बंदोबस्त अधिकारी	3
	119
2. केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त 1 के 40 प्रतिशत के हिसाब से	48
3. भारतीय प्रशासन सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 8 के अधीन पदोन्नति तथा प्रवर्ण द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त 1 और 2 के 25 प्रतिशत के हिसाब से	41
4. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त 1 और 2 में 3 घटाकर	126
5. प्रतिनियुक्ति रिजर्व	40*
6. छुट्टी रिजर्व उपर्युक्त 4 के 5 प्रतिशत के हिसाब से	6
7. कनिष्ठ पद उपर्युक्त 4 के 20.60 प्रतिशत के हिसाब से	26
8. प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त 4 के 10.59 प्रतिशत के हिसाब से	13
सीधी भर्ती वाले पद	211
पदोन्नति वाले पद	41
कुल प्राधिकृत संख्या	252

* 20 प्रतिशत के अतिरिक्त 15 पद शामिल हैं।

[सं० 10/3/73-प्र० भा० से० (II)]

श्रवण कुमार, संयुक्त, सचिव।